निविदा सूचना

जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर टिकट वितरण हेतु स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्त के लिए आवेदनों का आमंत्रण

पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
वाणिज्य विभाग, जबलपुर

क्र. जबल/वा/477/को./एसटीबीए/16 दिनांकः– 29.11 .2016

भारत के राष्ट्रपति **एवं उनकी ओर से** वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर द्वारा स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट के चयन करने हेतु अधिसूचना क्र. 60/2016 के द्वारा 01 वर्ष की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे दिन (24 घण्टे) अनारक्षित टिकिट जारी करने के लिए संविदा आधार पर स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBAs) आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों से जिनका स्थायी निवास संबंधित स्टेशन क्षेत्र में आता है, आवेदन आमंत्रित किए जाते है। स्टेशन का विवरण जिनके लिए स्टेशन टिकिट बुकिंग ऐजन्ट (STBAs) का आवंटन होना है, वे निम्नलिखित ''ई'' श्रेणी के स्टेशन हैं :–

Sr. No.	Station	Sr. No.	Station
1	गुर्रा	29	बखलेटा
2	सोनतलाई	30	रीठी
3	बागरातवा	31	पटौहा
4	गुरमखेड़ी	32	हरदुआ
5	घाटपिंडरई	33	मझगवां फाटक
6	करकबेल	34	गोलापट्टी
7	बेलखेड़ा	35	बरगवां
8	विक्रमपुर	36	देवराग्राम
9	आधारताल	37	भरसंडी
10	डुण्डी	38	जोबा
11	पटवारा	39	छतैनी
12	झुकेही	40	महरोई
13	पकरिया	41	सलहना
14	मदनपुर	42	कटंगी खुर्द
15	लगरगवां	43	बोहानी
16	कैमा	44	स्लिमनाबाद
17	सकरिया	45	भेड़ाघाट
18	हिनौतारामवन	46	अमदरा
19	बघईरोड	47	नरयावली
20	तुर्की रोड	48	गिरवर
21	विजयसोता	49	गणेशगंज
22	बघौरा	50	सगौनी
23	सुमरेरी	51	सरई ग्राम

Downloaded From Website

24	ईशरवारा	52	निवार
25	लिधौराखुर्द	53	जरूआखेड़ा
26	असलाना	54	पटवारा
27	करैया भदोली	55	पिपरिया कला
28	घटेरा	56	गेसलपुर

चुने गए स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म टिकिट, मासिक सीजन टिकिट सहित सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकिट जारी कर सकेंगे तथा स्टेशन मास्टर के अनुमोदन के पश्चात रियायती टिकिट जारी कर सकेंगे। स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) को टिकिट बिक्री के आधार पर नियमानुसार कमीशन का भुगतान किया जायेगा।

प्रति माह टिकिट बिक्री रू.	कमीशन प्रतिशत (%)में
1 से 15,000	15 % (न्यूनतम रू. 500/–)
15,001 से 50,000 तक	12 %
50,001 से 1,00,000 तक	9 %
1,00,000 से अधिक	4 % अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित कमीशन जो भी कम हो।

चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित कमीशन की दर या उपरोक्त कमीशन की दर, दोनों में जो भी कम होगा वह प्रदान किया जायेगा।

1. आवेदनपत्र मण्डल रेल प्रबंधक वाणिज्य कार्यालय जबलपुर से कार्यालयीन दिवस में रूपये एक हजार (रू0 1000/–) मनी रसीद द्वारा जमा कर अथवा रेलवे वेवसाईट www.wcr.indianrailways.gov.in से डाउन लोड करके रू1000/– (एक हजार मात्र) की डीडी जो कि वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक जबलपुर के पक्ष में देय होगी। आवेदन शुल्क के रूप में जमा कर सकते है।
2. इस कार्य हेतु योग्यता शर्ते एवं अन्य सम्बन्धित जानकारीयां कार्यालयीन दिवस में मण्डल रेल प्रबंधक वाणिज्य के कार्यालय से दिनांक 30.11.2016 से 02.01.2017 तक प्राप्त की जा सकती है या रेलवे वेवसाईट www.wcr.indianrailways.gov.in से डाउन लोड करके भी प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक व्यक्ति जो अनुबंधित शर्तो को पूरा करते हो अपना भरा हुआ प्रपत्र सील बंद लिफाफे में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय पमरे जबलपुर के पते पर दिनांक 03.01.2017 को 15.00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त आवेदनो को दिनांक 03.01.2017 को 15.30. बजे खोला जायेगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक वाणिज्य

Downloaded From Website

जबलपुर पमरे

पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
वाणिज्य विभाग, जबलपुर

क्र. जबल/वा/477/को./एसटीबीए/16

दिनांकः– 29 .11.2016

स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट के चयन करने हेतु अधिसूचना क्र. 60/.16 जबलपुर वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए उनके ओर से 01 वर्ष की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे दिन (24 घण्टे) अनारक्षित टिकिट जारी करने के लिए संविदा आधार पर स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBAs) आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों से जिनका स्थायी निवास संबंधित स्टेशन क्षेत्र में आता है। आवेदन आमंत्रित किए जाते है। स्टेशन का विवरण जिनके लिए स्टेशन टिकिट बुकिंग ऐजन्ट (STBAs) का आवंटन होना है, वे निम्नलिखित ''ई'' श्रेणी के स्टेशन हैं :–

Sr. No.	Station	UTS	ASM	Sr. No.	Station	UTS	ASM
1	गुर्रा	UTS	-	29	बखलेटा	UTS	-
2	सोनतलाई	UTS	-	30	रीठी	UTS	-
3	बागरातवा	UTS	-	31	पटोहा	UTS	-
4	गुरमखेड़ी	UTS	-	32	हरदुआ	UTS	-
5	घाटपिंडरई	UTS	-	33	मझगवां फाटक	UTS	-
6	करकबेल	UTS	-	34	गोलापट्टी	UTS	-
7	बेलखेड़ा	UTS	-	35	बरगवां	UTS	-
8	विक्रमपुर	UTS	-	36	देवराग्राम	UTS	-
9	आधारताल	UTS	-	37	भरसंडी	UTS	-
10	डुण्डी	UTS	-	38	जोबा	UTS	-
11	पटवारा	UTS	-	39	छतैनी	UTS	-
12	झुकेही	UTS	-	40	महरोई	UTS	-
13	पकरिया	UTS	-	41	सलहना	UTS	-
14	भदनपुर	UTS	-	42	कटंगी खुर्द	UTS	-
15	लगरगवां	UTS	-	43	बोहानी	UTS	-
16	कैमा	UTS	-	44	स्लिमनाबाद	UTS	-

Downloaded From Website

17	सकरिया	UTS	-	45	भेड़ाघाट	UTS	-
18	हिनौतारामवन	UTS	-	46	अमदरा	UTS	-
19	बघईरोड	UTS	-	47	नरयावली	UTS	-
20	तुर्की रोड	UTS	-	48	गिरवर	UTS	-
21	विजयसोता	UTS	-	49	गणेशगंज	UTS	-
22	बघौरा	UTS	-	50	सगौनी	UTS	-
23	सुमरेरी	UTS	-	51	सरई ग्राम	UTS	-
24	ईशरवारा	UTS	-	52	निवार	UTS	-
25	लिधौराखुर्द	UTS	-	53	जरूआखेड़ा	UTS	-
26	असलाना	UTS	-	54	पटवारा	UTS	-
27	करैया भदोली	UTS	-	55	पिपरिया कला	UTS	-
28	घटेरा	UTS	-	56	गेसलपुर	UTS	-

उक्त स्टेशनों पर बुकिंग लिपिक पदस्थ नहीं है। चुने गए स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म टिकिट, मासिक सीजन टिकिट सहित सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकिट जारी कर सकेंगे तथा स्टेशन मास्टर के अनुमोदन के पश्चात रियायती टिकिट जारी कर सकेंगे। स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) को टिकिट बिक्री के आधार पर नियमानुसार कमीशन का भुगतान किया जायेगा।

प्रति माह टिकिट बिक्री रू.	कमीशन प्रतिशत (%)में
1 से 15,000	15 % (न्यूनतम रू. 500/–)
15,001 से 50,000 तक	12 %
50,001 से 1,00,000 तक	9 %
1,00,000 से अधिक	4 % अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित कमीशन जो भी कम हो।

चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित कमीशन की दर या उपरोक्त कमीशन की दर, दोनों में जो भी कम होगा वह प्रदान किया जायेगा।

Downloaded From Website

योग्यता एवं शर्ते :–

1 एक स्टेशन पर केवल 01 ही स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) जिसका प्रस्ताव (Offer) न्यूनतम होगा उसे आवंटन किया जायेगा।एक आवेदक केवल एक स्टेशन के लिए STBA हेतु आवेदन कर सकता है यदि कोई व्यक्ति पूर्व में किसी अन्य स्टेशन पर STBA के रूप में नियुक्त है, वे इस अधिसूचना में उल्लेखित किसी भी स्टेशन पर STBA की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे

2 आवेदक को आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप) के साथ रू. 1000/– मात्र आवेदन शुल्क (स्टेशन द्वारा जारी एम.आर. अथवा डी.डी. के रूप में) तथा रू. 2000/– मात्र बयाना राशि (केवल डी.डी. के रूप में) जमा करनी है। आवेदन शुल्क व बयाना राशि हेतु जारी डी.डी. **वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर** के पक्ष में देय होंगे। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना होगा।

3 आवेदनपत्र मण्डल रेल प्रबंधक वाणिज्य कार्यालय जबलपुर से कार्यालयीन दिवस में रूपये एक हजार (रू0 1000/–) मनी रसीद द्वारा जमा कर अथवा रेलवे वेवसाईट www.wcr.indianrailways.gov.in से डाउन लोड करके रू 1000/– (एक हजार मात्र) की डीडी जो कि वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक जबलपुर के पक्ष में देय होगी। आवेदन शुल्क के रूप में जमा कर सकते है।

4 आवेदक ने जिस स्टेशन के STBA चयन हेतु आवेदन किया है। आवेदक उस ब्लॉक/तहसील का स्थाई निवासी होना चाहिए, जिसमें यह स्टेशन स्थित है। इसके लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

5 आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम ना हो एवं वह कम से कम 10वीं पास हो।

6 आवेदक को अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग सेवक (STBA) को उसके निवास से संबंधित पुलिस स्टेशन से इस विषय का कि उसके विरूद्ध कोई आपराधित मामला लंबित नहीं होने का चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

7 चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) को सुरक्षा राशि के रूप में रू. 5000/– की ब्याज रहित वापसी योग्य एफडीआर एवं रूपए 20,000/– की बैंक गांरटी **वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर** के पक्ष में देय होगी। एसटीबीए का कार्य पूर्ण होने/कार्य संचालन निरस्त की स्थिति में बकाया राशि सुरक्षित जमा से समायोजित की जायेगी, शेष राशि एसटीबीए को वापस कर दी जायेगी।

8 चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) स्टेशन के निर्धारित मशीन से तथा स्टेशन पर लगे यूटीएस उपकरणों से अनारक्षित टिकिट जारी करेगा इसके लिए एसटीबीए (STBA) से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

Downloaded From Website

9 चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) लाईसेंस को किसी अन्य को सबलेट/हस्तान्तरित नहीं करेगा। मूल लाईसेन्सी की मृत्यु होने पर नियमानुसार उसके लाईसेंस का उसकी वैध उत्तराधिकारी को लाईसेंस की शेष अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकेगा। यद्यपि स्टेशन टिकिट बुकिंग ऐजेंट (STBA) को अपनी सहायता हेतु अन्य व्यक्ति को रेलवे प्रशासन की पूर्व अनुमति से नामित कर सकता है जिसका एग्रीमेंट में भी प्रावधान किया जाना होगा।

10 STBA एवं उसके द्वारा नामित अन्य व्यक्ति को रेल प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र कार्य स्थल पर अपने साथ रखने होंगे एवं उनके नामों का उल्लेख स्टेशन परिसर स्थित सूचना पट्ट पर भी होना चाहिए।

11 चुने गए स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म टिकिट, मासिक सीजन टिकिट सहित सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकिट जारी कर सकेंगे तथा स्टेशन मास्टर के अनुमोदन से जारी टिकिटों का रद्दीकरण एवं रियायती टिकिट जारी कर सकेंगे।

12 स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) को प्रत्येक 08 घण्टे के उपरान्त जारी किये गये टिकिटों का विवरण (डीटीसी) जारी करेंगे एवं टिकिट बिक्री से प्राप्त आय का कार्यरत् स्टेशन मास्टर के पास जमा कराना होगा।

13 यदि एसटीबीए (STBA) की अनुपस्थिति या एसटीबीए (STBA) द्वारा यूटीएस उपकरण गलत आपरेट करने के कारण यूटीएस सिस्टम में आई खराबी की वजह से यात्रियों को टिकिट जारी करने में व्यवधान उत्पन्न होता है तो स्टेशन की प्रतिदिन औसत आय या 500/– रूपए दोनों में जो भी अधिक हो, का जुर्माना स्टेशन, स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) पर लगाया जायेगा।

14 कार्य के दौरान टिकिट रोल तथा रोकड़ की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBAs) की होगी।

15 स्टेशन टिकिट बुकिंग सेवक (STBA) के कार्य की जाँच स्टेशन मास्टर, वाणिज्य तथा लेखा विभाग के निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा जावेगी।

16 **चयन प्रक्रिया** :– आवेदक अपने आवेदन में कमीशन स्लेब के तहत 4% (चार प्रतिशत) कमीशन वाले कॉलम में 4% (चार प्रतिशत) से कम कमीशन लेने का प्रस्ताव दे सकता है, 4% (चार प्रतिशत) कमीशन वाले कॉलम में जिस आवेदक के द्वारा न्यूनतम् कमीशन का प्रस्ताव दिया जायेगा, उसका चयन स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBA) के लिए किया जायेगा।

17 **कार्य की अवधि** :– इस कार्य की अवधि एक वर्ष होगी तथा चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट को रेल्वे के साथ एग्रीमेंट करना होगा।

18 **कार्य की समाप्ति** :– दोनों पक्षों द्वारा बिना कोई कारण बताये 10 दिनों की पूर्व सूचना देते हुए कार्य का समाप्त किया जा सकता है।

19 **एसटीबीए की नियुक्ति** (STBAs) :– चयनित स्टेशन बुकिंग ऐजेंट का रेल सेवा में नियुक्ति संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा, इनका चयन पूर्ण रूप से संविदा पर कार्य

Downloaded From Website

करने हेतु समझा जावेगा, और ना ही इन्हे किसी प्रकार की रेल सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

20 **आरबीटेशन (Arbitration)** :– कार्य की अवधि के दौरान उत्पन्न हुए किसी भी वाद–विवाद के निपटारे हेतु करार पत्र में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार वाद–विवाद का निपटारा किया जायेगा।

नोट :–

1. फोटोग्राफ, आवेदन शुल्क, बयाना राशि और आवेदन में वर्णित प्रमाण–पत्रों के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन सभी संलग्न के साथ लिफाफे में रखे तथा लिफाफे को सही तरीके से चिपकाये। लिफाफे के ऊपर ....स्टेशन पर स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट की नियुक्ति के लिए आवेदन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, सही ढंग से नहीं चिपकाया हुआ आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. डाक के द्वारा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन दिनांक 03.01.2017.को 15:00 बजें वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के ड्राफ्ट बॉक्स में पहुंच जाना चाहिए, दिनांक 03.01.2017 को 15:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. सभी मामलों जैसे पात्रता, आवेदन की स्वीकृति के बारे में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा। जिन आवेदनकर्ताओं का चयन नहीं होगा, तो उनको इस संबंध में कोई भी जवाब भेजने के लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
4. नियम और शर्तें के स्पष्टीकरण के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के कार्यालय के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

Downloaded From Website

स्टेशन टिकिट बुकिंग सेवक (STBA) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम	:	
2.	पिता/पति का नाम	:	
3	जन्म तिथि (अंको में)	:	
	(शब्दों में) (प्रमाण पत्र संलगन करे)	:	
4.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलगन करे)	:	
5.	स्टेशन का नाम जिसके लिए आवेदन किया है (कृपया नोट करे कि आवेदक को संबंधित ब्लाक/तहसील का स्थानीय निवासी होना चाहिए, इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे)	:	
6.	आवेदक का पूर्ण स्थायी पता (केंद्र/राज्य सरकार व्दारा मान्य)	:	
7.	टेलीफोन/मोबाइल न.	:	
8.	आवेदन शुल्क रु. 1000/- का विवरण	:	**MR NO:** दिनांक: DD NO: दिनांक: बैंक का नाम:
9.	बयाना राशि रु. 2000/- का विवरण	:	DD NO: दिनांक: बैंक का नाम:
10.	चरित्र प्रमाण पत्र का विवरण	:	क्रमांक: दिनांक :
11.	आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण ना होने का प्रमाण पत्र (स्थानीय पुलिस थाना व्दारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलगन करे)	:	

आवेदक अपना स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका कर उस पर अपने हस्ताक्षर करे

Downloaded From Website

12. आवेदक द्वारा घोषित कमीशन की दर:-

प्रति माह टिकिट बिक्री रु.	कमीशन प्रतिशत	आवेदक अपने कमीशन की दर नीचे के कालम में अंकित करे । (अंको में एवं शब्दों में)
रु 01 से 15,000/-	15 % (पंद्रह प्रतिशत)	
रु 15,001 से 50,000/-	12 % (बारह प्रतिशत)	
रु 5,0001 से 1,00,000/-	9 % (नों प्रतिशत)	
रु.1,00,000 से अधिक	4 % (चार प्रतिशत)	अंको में प्रतिशत: शब्दों में प्रतिशत:
आवेदक अपने आवेदन में कमीशन स्लैब के तहत **4 % (चार प्रतिशत)** कमीशन वाले कालम **में 4 % (चार प्रतिशत) से कम कमीशन लेने का प्रस्ताव दे सकता है, 4 % (चार प्रतिशत)** कमीशन वाले कालम में जिस आवेदक का **न्यूनतम कमीशन का प्रस्ताव होगा** उसका **चयन STBA** के लिए किया जाएगा । **रु.1,00,000 से अधिक प्रति माह टिकिट बिक्री पर** आवेदक व्दारा दिया गया कमीशन का प्रस्ताव या **4 % (चार प्रतिशत)** कमीशन जो भी कम होगा उक्त कमीशन चयनित **STBA** को प्रदान किया जायेगा ।		

घोषणा

में घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कलमों में दी गई सभी जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है, में यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन पर मैं स्टेशन टिकिट बुकिंग सेवक STBA के रूप में नियुक्त/कार्यरत नहीं हूँ । यदि उपरोक्त कलमों में कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो रेल प्रशासन मुझे चयन प्रक्रिया से अलग कर सकता है तथा असत्य जानकारी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी ।

हस्ताक्षर आवेदक :
नाम आवेदक :
पता आवेदक :

मोबाइल न. आवेदक :

संलगन प्रपत्र:

1. आवेदन शुल्क रु. 1000/-(संलगन करे)
2. बयाना राशि रु. 2000/- (संलगन करे)
3. शैक्षणिक योग्यता (संलगन करे)
4. आवेदक का पूर्ण स्थायी पता (संलगन करे)
5. चरित्र प्रमाण पत्र (संलगन करे)
6. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण ना होने का प्रमाण पत्र (संलगन करे)
7. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (संलगन करे)

Downloaded From Website

Downloaded From Website